अपने अधिकारों को जानिए

डी के बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश

गिरफ्तार किये गए सभी लोगों के पास भी अधिकार हैं। पुलिस हिरासत में, किसी से भी दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनका पुलिस द्वारा गिरफ्तारी और हिरासत के सभी मामलों का पालन करना अनिवार्य है। सभी गिरफ्तार व्यक्तियों के लिए इन दिशानिर्देशों को जानना आवश्यक है, जिससे उन्हें अपने अधिकारों और उनके प्रति पुलिस के कर्तव्यों की पूर्ण जानकारी रहे।

दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं:

गिरफ्तारी और पूछताछ कार्य में पुलिस के कर्तव्य:

- सभी पुलिस कर्मियों को नाम टैग पहनाना आवश्यक है जो स्पष्ट रूप से उनके नाम और पदनाम को दर्शाता है।
- पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारियों का पूरा विवरण हर हाल में पुलिस द्वारा एक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।

गिरफ्तारी ज्ञापन:

- गिरफ्तार करने वाल अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें गिरफ्तारी विवरण दर्ज होना आवश्यक है।
- गिरफ्तारी ज्ञापन में निम्नलिखित शामिल होना ज़रूरी है:
  - क. कम से कम एक गवाह के हस्ताक्षर, जो गिरफ्तार होने वाल व्यक्ति के रिश्तेदार या गिरफ्तारी की जगह रहने वाला कोई सम्मानित व्यक्ति हो सकता है।
  - ख. गिरफ्तारी का समय, तिथि और स्थान
- गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी ज्ञापन पूर्णतः तैयार होने के बाद ही उस पर हस्ताक्षर लिए जाने चाहिए।

निरीक्षण ज्ञापन:

- अगर गिरफ्तार व्यक्ति अनुरोध करता है, तो गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को निरीक्षण ज्ञापन में गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के शरीर पर किसी भी मामूली/बड़ी चोटों को रिकॉर्ड करना आवश्यक है।
- गिरफ्तार व्यक्ति और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
- गिरफ्तार व्यक्ति को ज्ञापन की एक प्रति देना आवश्यक है।

गिरफ्तारी और हिरासत के वारे में जानकारी:

- गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार है कि उसके रिश्तेदार/मित्र को गिरफ्तारी के बारे में सूचना दी जाए।
- पुलिस को गिरफ्तारी के समय और जगह की सूचना रिश्तेदार/मित्र को देनी चाहिए, और जल्द से जल्द उस सटीक जगह की जानकारी देना आवश्यक है जहां व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।
- यदि रिश्तेदार/मित्र, एक अलग जिले/शहर में है, तो संबंधित पुलिस स्टेशन को गिरफ्तारी के 8–12 घंटों के भीतर टैलीग्राफ द्वारा सूचित किया जाना चाहिए और जानकारी को रिश्तेदार/मित्र तक पहुंचाना चाहिए।
- गिरफ्तारी की जानकारी जिला विधिक सेवा केंद्र के माध्यम से भी भेजी जानी चाहिए।

दैनिक जानकारी:

- पुलिस को ''पुलिस स्टेशन दैनिक डायरी'' में की गई हर गिरफ्तारी का विवरण दर्ज करना आवश्यक है।
- डायरी प्रविष्टि में रिश्तेदार/मित्र का नाम शामिल होना चाहिए जिसे गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया गया है।
- डायरी प्रविष्ट द्वारा पुलिस अधिकारी का नाम बताया जाता है जिसकी मौजूदगी में व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है।

चिकित्सा परीक्षण:

- गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी हिरासत के दौरान पर 48 घंटों में प्रशिक्षित चिकित्सक से चिकित्सकीय जांच करवाने का अधिकार है।
- चिकित्सक को केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक, द्वारा चुने गए पैनल से होना आवश्यक है।
- केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक को सभी तहसीलों और जिला मुख्यालयों के लिए एक पैनल तैयार करना आवश्यक है।

कानूनी प्रतिनिधित्व:

- गिरफ्तार व्यक्ति को उससे पूछताछ के दौरान एक वकील से मिलने और परामर्श करने का अधिकार है। पुलिस इसके लिए इनकार नहीं कर सकती।

इलाका मजिस्ट्रेट:

- पुलिस को अपने रिकॉर्ड के लिए इलाका मजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी से संबंधित सभी दस्तावेजों (गिरफ्तारी और निरीक्षण ज्ञापन समेत) की एक प्रति भेजना आवश्यक है।

पुलिस निरीक्षण कक्ष:

- सभी जिला और राज्य मुख्यालयों में पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करना आवश्यक है।
- गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति के हिरासत के स्थान के बारे में नियंत्रण कक्ष को सूचित करना चाहिए, यह सभी प्रकार की गिरफ्तारीयों में आवश्यक है।
- यह जानकारी गिरफ्तारी के 12 घंटों के भीतर नियंत्रण कक्ष में भेजना अनिवार्य है।
- यह जानकारी नियंत्रण कक्ष के नोटिस बोर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए।

इन दिशानिर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन आवश्यक है। ऐसा करने से इंकार करना अदालत की अवमानना होगी। जो पुलिस अधिकारी इन सुरक्षा उपायों का पालन नहीं करते हैं, उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाई की जा सकती है।